D/AD(N) /Letter-2016

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 3(46)पोषा / KSY/ICDS / 2016 / जयपुर, दिनांक

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :– किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– विभागीय आदेश क्रमांक–एफ.3(72)पोषा / मबावि / 1992–93 / 96205–541 दिनांक 04.11.2011

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर दो किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे। आप द्वारा प्रेषित माह नवम्बर, 2015 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा दौरान यह पाया गया है कि आपके जिले में क्रियाशील आंगनबाड़ी केन्द्रों पर किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित नॉर्मस के अनुसार किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार सेवा से लाभान्वित नहीं किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर रोटेशन के आधार पर दो कुपोषित किशोरी बालिकाओं को सप्ताह में 6 दिन पूरक पोषाहार उनके सामान्य श्रेणी में आने तक दिये जाने का प्रावधान है। किशोरी बालिकाओं को उपलब्ध कराये जाने वाले पूरक पोषाहार के न्यूट्रिशनल एवं वित्तीय मापदण्ड गर्भवती / धात्री महिलाओं को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार के समान ही निर्धारित है।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन जिलों में सबला योजना प्रभावी नहीं है, उन जिलों में किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर रोटेशन के आधार पर दो कुपोषित किशोरी बालिकाओं को सप्ताह में 6 दिन पूरक पोषाहार उनके सामान्य श्रेणी में आने तक नियमित रूप से उपलब्ध कराया जावे।

sd/-
(एम.पी.स्वामी)
निदेशक

क्रमांक–एफ. 3(46)पोषा / KSY/ICDS / 2016 / 2960 - 3309 जयपुर, दिनांक 19.1.16

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–</u>

1 विशिष्ठ सहायक, राज्यमंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3 निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4 समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5 बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
6 प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. ब्रजभूषण शर्मा)
अति. निदेशक (पोषाहार)